[2018] 14 एस.सी.आर.415

पंजाब राज्य

बनाम

राकेश कुमार

(2018 की आपराधिक अपील संख्या 1512)

03 दिसम्बर 2018

[एन. वी. रमण, मोहन एम. शांतनागौदार,

एम. आर. शाह, जे.जे.]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973: धारा 389 - सजा का निलंबन - वर्तमान मामले में, उत्तरदाताओं को "निर्मित दवाओं" के साथ पकड़ा गया था और एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और 22 के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था - उच्च न्यायालय ने आवेदनों की अनुमति दी आरोपी-प्रतिवादियों द्वारा दायर सजा के निलंबन के लिए यह मानते हुए कि, चूंकि तत्काल मामले "निर्मित दवाओं" से संबंधित हैं, इसलिए उत्तरदाताओं पर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए था, न कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत - राज्य ने दायर किया त्वरित अपील - माना गया: जबकि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम उन दवाओं से संबंधित है जिनका उपयोग चिकित्सीय या औषधीय उपयोग के लिए किया जाना है, एनडीपीएस अधिनियम उन दवाओं के उपयोग पर अंकुश लगाने और दंडित करने का इरादा रखता है जिनका उपयोग नशे के लिए या उत्तेजक प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है - इस प्रकार, एनडीपीएस अधिनियम को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के अपवर्जन में नहीं पढ़ा जाना चाहिए - इसके अतिरिक्त, कानून के अनुसार अपराधी पर मुकदमा चलाना राज्य का विशेषाधिकार है - वर्तमान मामले में, चूंकि आरोपी-प्रतिवादियों की कार्रवाई समान है यह प्रथम दृष्टया एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है, उन पर एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप लगाए गए - उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कि आरोपी-प्रतिवादियों पर इसके बजाय ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए। एनडीपीएस अधिनियम, क्योंकि वे "निर्मित दवाओं" के कब्जे में पाए गए थे, कानून में अच्छा नहीं है - इसके अलावा, आरोपी-प्रतिवादियों ने सजा को निलंबित करने की

मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था - हालांकि, राहत देते हुए, उच्च न्यायालय मामले के गुण-दोष पर गलत टिप्पणियाँ की गईं, जबकि अपीलें अभी भी उसके समक्ष लंबित थीं - तत्काल मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ कथित अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उच्च न्यायालय के आदेश में सजा और अनुदान को निलंबित करने का निर्देश दिया गया। जमानत स्पष्ट रूप से कानून की दृष्टि से टिकाऊ नहीं थी और इसे रद्द कर दिया गया है - औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 - स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 - ss.21 और 22।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940: अधिनियमन का विधायी इरादा - चर्चा की गई।

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985: अधिनियमन का विधायी इरादा - चर्चा की गई।

अपीलों को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1.1 औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 विशेष रूप से निम्न-मानक दवाओं को रोकने और चिकित्सा उपचार के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 का मुख्य उद्देश्य दवाओं में मिलावट और नकली और घटिया दवाओं के उत्पादन, निर्माण, वितरण और बिक्री के खतरे को कम करना था। दूसरी ओर, N.D.P.S अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित संचालन को नियंत्रित और विनियमित करना है। जहां ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम उन दवाओं से संबंधित है जिनका उपयोग चिकित्सीय या औषधीय उपयोग के लिए किया जाना है, वहीं दूसरी ओर एन.डी.पी.एस अधिनियम उन दवाओं के उपयोग पर अंकुश लगाने और दंडित करने का इरादा रखता है जिनका उपयोग नशे के लिए या उत्तेजक प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है। [पैरा 8][422-जी-एच; 423-ए]

चिमनलाल जगजीवनदास शेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य **एआईआर**

1963 एससी 665: [1963] पूरक। एससीआर 344 - पर निर्भर

इंद्रजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य **2014 (3) आरसीआर (सीआरएल) 953 -**

करने के लिए भेजा

1.2 धारा 8 के संदर्भ में, निषेधात्मक खंड है जिसके उल्लंघन से दंडात्मक परिणाम होंगे। इसके अलावा, धारा 21 निर्मित दवाओं और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती है और धारा 22 मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती है। उपरोक्त दोनों प्रावधानों में कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है जो दस साल से कम नहीं होगी लेकिन जिसे बीस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। दो लाख रुपये तक, यदि बरामद पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा में है। हालाँकि, इससे जुड़ा प्रावधान न्यायालय को दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। वर्तमान मामले में, आरोपी-प्रतिवादियों को बिना किसी वैध प्राधिकरण के निर्मित दवाओं के बड़े पैमाने पर कब्जे में पाया गया। [पैरा 9, 10, 11] [423-बी, जी-एच; 924-बी-सी]

***यूनियन ऑफ इंडिया बनाम संजीव वी. देशपांडे* (2014) 13 एससीसी**

1: [2014] 11 एससीआर 981 - पर निर्भर।

2. एनडीपीएस अधिनियम, को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 को छोड़कर नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपराधी पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाना राज्य का विशेषाधिकार है। वर्तमान मामले में, चूंकि अभियुक्त-प्रतिवादियों की कार्रवाई प्रथम दृष्टया एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है, इसलिए उन पर एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप लगाए गए। उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में कहा गया है कि आरोपी उत्तरदाताओं पर एनडीपीएस अधिनियम के बजाय ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास "निर्मित दवाएं" पाई गई थीं, जो कानून की नजर में अच्छा नहीं है। इसके अलावा, आरोपी-प्रतिवादियों ने सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, उक्त राहत देते समय, उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता पर गलत टिप्पणियाँ कीं, जबकि अपीलें अभी भी उसके समक्ष लंबित थीं। [पैरा 15,16][425-एफ-एच]

<u>केस कानून संदर्भ</u>

2014 (3) आरसीआर (सीआरएल) 953 पैरा 5 में संदर्भित

[2014] 11 एससीआर 981 पैरा 5 पर निर्भर था

[1963] पूरक। एससीआर 344 पैरा 8 पर निर्भर था

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की आपराधिक अपील संख्या 1512।

2015 के सीआरए एस-840-एसबी में 2015 के सीआरएम-32387 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 29.01.2018 से।

आपराधिक अपील संख्या 1514, 1515, 1517, 1516, 1513, 1518, 1521, 1530, 1520, 1526, 1525, 1519, 1528, 1523, 1527, 1524, 1529, 1522, 1533, 1 के साथ 532, 1536, 1531, 1534 और 2018 के 1535।

सुश्री जसप्रीत गोगिया, सुश्री मंदाकिनी सिंह, सलाहकार। अपीलकर्ता के लिए |

अमन प्रीत सिंह राही, ए. वेनायगम बालन, नितिन कुमार ठाकुर, सुश्री एस. जननी, सुश्री श्रुति बिस्ट, वरिंदर कुमार शर्मा, एन. पी. जोशी, संदीप शर्मा, ए. देब कुमार, ए. लक्ष्मीनारायणन, सुश्री निधि, माणिक गर्ग ,रामेश्वर प्रसाद गोयल,चिराग गिरधर,दिनेश वर्मा,एस.एल.अनेजा,अजय सिंह,सुखदेव सिंह,जिनेंद्र जैन,प्रणय जैन,विभूति सुशांत गुप्ता,राम नरेश यादव,ए.तिवारी,सुश्री एलिजा बार,श्रीपाल सिंह,सुभाशीष भौमिक, विनीत भगत, के.जी. भगत विक्रम विशाल मिन्हास सलाहकार। प्रतिवादी के लिए.

न्यायालय का निर्णय **एन. वी. रमन्ना, जे.** द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. वर्तमान अपीलें राज्य द्वारा पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित 29 जनवरी, 2018 के सामान्य निर्णय और आदेश से व्यथित होकर दायर की गई हैं, जिसमें आरोपी-प्रतिवादियों द्वारा सजा के निलंबन के लिए आवेदन की अनुमति दी गई है। धारा 389 सी.आर.पी.सी. और उन्हें जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया, जबकि अपीलें उच्च न्यायालय में लंबित हैं।

3. इन अपीलों की खूबियों की सराहना करने के लिए, अभियोजन पक्ष के मामले से सामने आए संक्षिप्त तथ्यों को शुरुआत में ही नोट करने की जरूरत है। इन सभी अपीलों में, आरोपी-प्रतिवादियों को "निर्मित दवाओं" के साथ पकड़ा गया था और ट्रायल कोर्ट द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (इसके बाद इसे **"एनडीपीएस एक्ट"** के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 21 या धारा 22 के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया

था।). उत्तरदाताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए कथित अपराध और दोषसिद्धि नीचे सूचीबद्ध हैं:

क्रमांक संख्या	**केस नंबर**	**आरोपी का नाम**	**वसूली**	**दृढ़ विश्वास**	**फैसला और तारीख**
1.	सीआरए-एस-840-एसबी-2015	राकेश कुमार	डिफेनोक्सिलेट नमक युक्त माइक्रोलिट की 3500 गोलियाँ	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना।	विशेष न्यायाधीश, श्री मुक्तसर साहिब- 18.11.2014
2.	सीआरए-एस-227-एसबी-2015	अनवर खान@सोनी	3.900 किलोग्राम नशीला पाउडर जिसमें डेक्सिरोप्रोपॉक्सीफीन नमक मिला हुआ है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, संगरूर - 17.11.2014
3.	सीआरए-एस-3148-एसबी-2015	मोनु	81.76 ग्राम नमक डिफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	विशेष न्यायाधीश, फ़िरोज़पुर - 04.06.2015
4.	सीआरए-एस-4134-	धरमु	डिफेनोक्सिलेट पाउडर व्यावसायिक मात्रा में	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22	जज स्पेशल कोर्ट-लुधियाना 25.05.2015

	एसबी-2015			के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	
5.	सीआरए-एस-5246-एसबी-2015	गुरविंदर सिंह	70 ग्राम जिसमें डाइफेनोक्सिलेट नमक होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट-लुधियाना 10.11..2015
6.	सीआरए-एस-71-एसबी-2016	मो. अख्तर@सोनी	19110 मिलीलीटर नशीला तरल पदार्थ 10 कैप्सूल पार्वोन स्पास, 10 गोलियां यूफोरिया	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22(ए) और 2(सी) के तहत - 1 वर्ष की सश्रम कारावास और 5000/- रुपये जुर्माना और 10 वर्ष की सश्रम कारावास और रु. 1.00 लाख जुर्माना।	जज स्पेशल कोर्ट-संगरूर - 09.12.2015
7.	सीआरए-एस-71-	मुनीष कुमार	रेक्सकोफ़ की 15 शीशियाँ	एनडीपीएस अधिनियम	जज स्पेशल कोर्ट-

	एसबी-2016			की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	बठिंडा - 09.01.2015
8.	सीआरए-एस-200-एसबी-2017	गुदावर राम @ गब्बू	60 ग्राम नशीला पाउडर जिसमें डिफेनोक्सिलेट नमक होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट-एसबीएस नगर - 09.12.2016
9.	सीआरए-एस-766-एसबी-2017	बलजिंदर सिंह @ बंटी	कोडीन फॉस्फेट युक्त 7500 मि.ली. कोरेक्स सिरप	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट-संगरूर - 20.12.2016
10.	सीआरए-एस-1413-एसबी-2017	सुखराज कौर@राज	कोडीन फॉस्फेट युक्त रेक्सकोफ की 120 बोतलें	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और	जज स्पेशल कोर्ट-संगरूर - 08.03.2017

				रु. 1.00 लाख जुर्माना	
11.	सीआरए-एस-1413-एसबी-2017	गुरप्रीत सिंह @गोपी	25 ग्राम हेरोइन और 250 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलम	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट-अमृतसर - 06.09.2016
12.	सीआरए-एस-2933-एसबी-2016	सलविंदर सिंह @ शिंदा	320 ग्राम नशीला पाउडर जिसमें डिफेनोक्सिलेट होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट-तरनतारन - 09.08.2016
13.	सीआरए-एस-985-एसबी-2017	करमजीत सिंह@कर्मा	कोडीन फॉस्फेट युक्त रेक्सकोफ के 10 महत्वपूर्ण तत्व	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट-फरीदकोट - 04.01.2017
14.	सीआरए-एस-723-एसबी-2016	मनदीप सिंह @ मणि	300 ग्राम नशीला पाउडर जिसमें डाइफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और	अतिरिक्त. सेशन जज, अमृतसर-23.12.2015

				रु. 1.00 लाख जुर्माना	
15.	सीआरए-एस-1531-एसबी-2016	जगमोहन सिंह@ मिट्ठू	100 ग्राम नशीला पाउडर जिसमें डाइफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, अमृतसर - 10.03.2016
16.	सीआरए-एस-2398-एसबी-2017	नछत्तर सिंह @सोनू	60 ग्राम नशीला पाउडर जिसमें डाइफेनोक्सिलेट होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, तरनतारन - 16.05.2017
17.	सीआरए-एस-1972-एसबी-2017	गौरव बजाज (अन्य अपीलकर्ता मनप्रीत सिंह)	गौरव बजाज से 50 बोतल रेक्सकोफ सिरप और 250 गोलियाँ कैरिसोना। मनप्रीत सिंह से 45 बोतल रेक्सकोफ सिरप और 200 गोलियाँ कैरिसोना।	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, फाजिल्का - 17.03.2017
18.	सीआरए-एस-3921-एसबी-2013	गुरप्रीत सिंह	रेक्सकोफ़ की 19 शीशियाँ, पिनोटिल की 1200 गोलियाँ और अल्प्राजोलम की 450 गोलियाँ	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का	जज स्पेशल कोर्ट, बठिंडा - 24.10.2013

				आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	
19.	सीआरए-एस-1529-एसबी-2017	जसपाल सिंह	कोडीन फॉस्फेट युक्त रेक्सकोफ की 12 शीशियाँ	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, संगरूर - 07.03.2017
20.	सीआरए-एस-750-एसबी-2014	संजीव कुमार और परमजीत सिंह@ पम्मा	संजीव कुमार के पास से 101, 400 ग्राम वजन की 1300 गोलियाँ; परमजीत सिंह @ पम्मा से 31.200 ग्राम वजन की 400 गोलियाँ	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज, स्पेशल कोर्ट, - III , फ़िरोज़पुर - 27.01.2013
21.	सीआरए-एस-4894-एसबी-2015	आकाश कुमार	कोडीन फॉस्फेट युक्त 3500 मि.ली	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, संगरूर - 16.10.2015

22.	सीआरए-एस-2574-एसबी-2017	सतनाम सिंह	डेक्सट्रोप्रोपॉक्सीफीन युक्त रेक्सकोफ की 20 शीशियाँ	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, फरीदकोट - 06.07.2017
23.	सीआरए-एस-1616-एसबी-2017	अमित कुमार मेहता	डिफेनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड युक्त 2000 गोलियाँ	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	जज स्पेशल कोर्ट, पटियाला - 01.03.2017
24.	सीआरए-एस-185-एसबी-2017	गुरजंट सिंह@ जनता	60 ग्राम नशीला पाउडर जिसमें डाइफेनोक्सिलेट होता है	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22 के तहत - 10 वर्ष का आरआई और रु. 1.00 लाख जुर्माना	अतिरिक्त. सेशन जज, तरनतारन - 20.10.2016

25.	सीआरएम-एम-23054-2017	गुरप्रीत सिंह@तुली	5 स्ट्रिप्स में 100 टेबलेट मार्का अल्प्राजोलम, 12 इंजेक्शन ब्यूप्रेनोर्फिन 2 एमएल, 2 बोतल इंजेक्शन एविल 10 एमएल और 116 ग्राम नशीला पाउडर	एनडीपीएस अधिनियम की धारा 22/61/85 के तहत	न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, जालंधर

4. संबंधित 4. ट्रायल कोर्ट के फैसले और दोषसिद्धि से दुखी होकर, आरोपी-प्रतिवादियों ने विभिन्न अपीलों के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपील के लंबित रहने के दौरान आरोपी-प्रतिवादियों ने सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया। चूंकि उपरोक्त अपीलों में कानून का एक सामान्य प्रश्न शामिल था, उच्च न्यायालय ने मामलों को एक साथ सुना और 29.01.2018 को एक सामान्य आदेश पारित किया, जिससे आरोपी-प्रतिवादियों द्वारा पसंद की गई सजा के निलंबन के आवेदनों को अनुमति दी गई। उच्च न्यायालय ने कहा कि विनिर्मित दवाएं, चाहे उनमें नशीली दवाएं हों या मनोदैहिक पदार्थ हों, यदि किसी निर्माता द्वारा निर्मित की जाती हैं, तो उल्लंघन होने पर उन पर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, न कि एनडीपीएस अधिनियम के तहत, सिवाय उन दवाओं के जो खुले रूप में हैं। पाउडर, तरल आदि के माध्यम से। उपरोक्त आदेश दिनांक 29.01.2018 से असंतुष्ट होकर, राज्य ने वर्तमान अपीलों को प्राथमिकता दी है।

5. अपीलकर्ता-राज्य की ओर से वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आलोचना करते हुए, हमारा ध्यान एनडीपीएस अधिनियम और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के प्रासंगिक प्रावधानों की ओर आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि, एनडीपीएस अधिनियम, स्वयं

औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को लागू करने पर रोक नहीं है। इसके अलावा, वकील ने यह भी तर्क दिया कि, आक्षेपित निर्णय ***इंद्रजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य*** 2014 (3) आरसीआर (आपराधिक) में दिए गए निर्णय का घोर उल्लंघन है। 953, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा। वकील ने इस न्यायालय द्वारा ***भारत संघ बनाम संजीव बनाम देशपांडे*** (2014) 13 एससीसी 1 में दिए गए फैसले पर भी भरोसा किया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों का व्यापार केवल तभी स्वीकार्य है जब यह चिकित्सा के लिए हो या वैज्ञानिक उद्देश्य. लेकिन चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भी उपयोग प्रतिबंध मुक्त नहीं है, क्योंकि यह एनडीपीएस अधिनियम के तहत नियमों के अधीन है।

6. इसके विपरीत, आरोपी उत्तरदाताओं की ओर से वकील ने यह कहते हुए उच्च न्यायालय के तर्क का समर्थन किया है कि यह मानना बहुत दूर की बात है कि, कोई भी व्यक्ति जो बिना लाइसेंस के भारी मात्रा में निर्मित दवा के साथ पकड़ा जाता है। उसी के लिए, एक अपराध किया है जिस पर एनडीपीएस अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। वकील ने आगे कहा कि, उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष निकालना सही था कि, इसे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के प्रावधानों का उल्लंघन माना जा सकता है। इसलिए, सजा के निलंबन की राहत देने में कोई त्रुटि नहीं हुई। निकट भविष्य में अपीलों पर फैसला नहीं सुनाया जाएगा।

7. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

8. सबसे पहले हमारे सामने मौजूद दो कानूनों, यानी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और एनडीपीएस एक्ट के उद्देश्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को विशेष रूप से अवमानक दवाओं को रोकने और चिकित्सा उपचार के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए अधिनियमित किया गया था। ***(चिमनलाल जगजीवनदास शेठ बनाम महाराष्ट्र राज्य एआईआर 1963 एससी 665 देखें)*** औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 का मुख्य उद्देश्य दवाओं में मिलावट और नकली और घटिया दवाओं के उत्पादन, निर्माण, वितरण और बिक्री के खतरे को कम करना था। . दूसरी ओर, N.D.P.S अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित एक विशेष कानून है जिसका उद्देश्य मादक दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित संचालन को नियंत्रित और विनियमित करना है। दोनों अधिनियमों के उद्देश्यों का विश्लेषण करने के बाद, हम सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जहां ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम उन दवाओं से संबंधित है जिनका उपयोग चिकित्सीय या औषधीय उपयोग

के लिए किया जाना है, वहीं दूसरी ओर एनडीपीएस अधिनियम का उद्देश्य इसके उपयोग पर अंकुश लगाना और दंडित करना है। ऐसी औषधियाँ जिनका उपयोग नशा करने या उत्तेजक प्रभाव प्राप्त करने के लिए किया जाता है।

9. इस समय, एन.डी.पी.एस अधिनियम के तहत प्रासंगिक प्रावधानों पर ध्यान देना भी प्रासंगिक है। 1985 अधिनियम की धारा 8, निषेधात्मक धारा है जिसके उल्लंघन पर दंडात्मक परिणाम होंगे:

धारा 8. कुछ कार्यों का निषेध -कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा-

(ए) किसी भी कोका पौधे की खेती करना या कोका पौधे के किसी हिस्से को इकट्ठा करना; या

(बी) अफ़ीम पोस्त या किसी भांग के पौधे की खेती करना; या

(सी) उत्पादन, निर्माण, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद, परिवहन, गोदाम, उपयोग, उपभोग, अंतर-राज्य आयात, अंतर-राज्य निर्यात, भारत में आयात, भारत से निर्यात या किसी भी मादक दवा या मनोदैहिक पदार्थ को स्थानांतरित करना,

को छोड़कर चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए और इस अधिनियम के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या आदेशों द्वारा प्रदान की गई तरीके और सीमा तक और ऐसे मामले में जहां ऐसा कोई प्रावधान, लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के माध्यम से किसी भी आवश्यकता को लागू करता है। ऐसे लाइसेंस, परमिट या प्राधिकरण के नियमों और शर्तों के साथ:

बशर्ते कि, और इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों के अधीन, गांजा या उत्पादन के लिए कैनबिस पौधे की खेती के खिलाफ प्रतिबंध चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए गांजा का कब्ज़ा, उपयोग, उपभोग, खरीद, बिक्री, परिवहन, भंडारण, अंतर-राज्य आयात और अंतर-राज्य निर्यात केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसे केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा कर सकती है। आधिकारिक राजपत्र, इस संबंध में निर्दिष्ट करें।

10. इसके अलावा, धारा 21 निर्मित दवाओं और तैयारियों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा का प्रावधान करती है और धारा 22 मनोदैहिक पदार्थों के संबंध में उल्लंघन के लिए सजा

का प्रावधान करती है। उपरोक्त दोनों प्रावधानों में कठोर कारावास की सजा का प्रावधान है जो दस साल से कम नहीं होगी लेकिन जिसे बीस साल तक बढ़ाया जा सकता है, और जुर्माना लगाने का प्रावधान है जो एक लाख रुपये से कम नहीं होगा लेकिन जिसे बढ़ाया जा सकता है। दो लाख रुपये तक, यदि बरामद पदार्थ वाणिज्यिक मात्रा में है। हालाँकि, इससे जुड़ा प्रावधान न्यायालय को निर्णय में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए दो लाख रुपये से अधिक का जुर्माना लगाने की विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है।

11. वर्तमान मामले में, आरोपी-प्रतिवादी बिना किसी वैध प्राधिकरण के निर्मित दवाओं के थोक कब्जे में पाए गए। अपीलकर्ता-राज्य की ओर से वकील ने बड़े पैमाने पर जोर दिया है कि आरोपी-प्रतिवादियों की हरकतें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 8 का स्पष्ट उल्लंघन है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से औषधीय या वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर नशीले पदार्थों के कब्जे पर रोक लगाता है। उसी को आगे बढ़ाते हुए, अपीलकर्ता-राज्य की ओर से ***वकील ने भारत संघ बनाम संजीव बनाम देशपांडे (सुप्रा)*** के मामले में इस अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर जोर दिया है, जिसमें यह माना गया था कि:

> "25 . दूसरे शब्दों में, नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों में लेन-देन की अनुमति केवल तभी है जब ऐसा लेन-देन चिकित्सीय उद्देश्यों या वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए हो। **इसके अलावा, केवल यह तथ्य कि नशीली दवाओं और मनोदैहिक पदार्थों का लेन-देन चिकित्सा या वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए है, धारा 8(सी) के तहत बनाए गए प्रतिबंध को नहीं हटाता है।** ऐसा व्यवहार अधिनियम, नियमों या उसके तहत बनाए गए आदेशों के प्रावधानों द्वारा प्रदान किए गए तरीके और सीमा के अनुसार होना चाहिए। धारा 9 और 10 क्रमशः केंद्र और राज्य सरकारों को मादक द्रव्यों और मन:प्रभावी पदार्थों से निपटने के विभिन्न पहलुओं (धारा 8(सी के तहत विचार किए गए) की अनुमति और विनियमन करने के लिए नियम बनाने में सक्षम बनाती हैं।
>
> 26. अधिनियम निषेध के लिए नियम बनाने पर विचार नहीं करता है नशीली दवाओं और मन:प्रभावी पदार्थों से निपटने की विभिन्न गतिविधियाँ। ऐसा निषेध पहले से ही धारा 8 (सी) में निहित है। **यह केवल नशीली दवाओं या मन:प्रभावी पदार्थों से निपटने की किसी भी गतिविधि की अनुमति और विनियमन के लिए नियम बनाने पर विचार करता है..."**
>
> (जोर आपूर्ति की गई)

12. हमारे समक्ष वर्तमान अपीलों में, ट्रायल कोर्ट ने उनके सामने रखे गए सबूतों का विश्लेषण करने के बाद, आरोपी प्रतिवादियों को उचित संदेह से परे दोषी ठहराया और उन्हें एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 और धारा 22 के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया।

13. आरोपी-प्रतिवादियों के वकीलों ने उच्च न्यायालय के फैसले का पुरजोर समर्थन किया है जिसमें यह माना गया था कि चूंकि वर्तमान मामला "निर्मित दवाओं" से संबंधित है, इसलिए वर्तमान उत्तरदाताओं पर ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए मुकदमा चलाया जाना चाहिए। , 1940.

14. हालाँकि, हम आगे बताए गए कारणों से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष पर सहमत होने में असमर्थ हैं। सबसे पहले, हम ध्यान दें कि एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 80, स्पष्ट रूप से बताती है कि ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम के आवेदन पर रोक नहीं है, और एन.डी.पी.एस. के प्रावधान। यह अधिनियम औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त भी लागू हो सकता है। क़ानून आगे स्पष्ट करता है कि एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधान ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 का अपमान नहीं करते हैं। इस न्यायालय ने ***भारत संघ बनाम संजीव बनाम देशपांडे (सुप्रा)*** के मामले में कहा है कि,

> “35. ...अनिवार्य रूप से ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 आम तौर पर दवाओं के निर्माण, बिक्री, खरीद आदि के विभिन्न कार्यों से संबंधित है, **जबकि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 दवाओं के एक अधिक विशिष्ट वर्ग से संबंधित है और इसलिए, इस पर एक विशेष कानून है। विषय।** इसके अलावा अधिनियम के प्रावधान 1940 अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त संचालित होते हैं।”
>
> **(जोर दिया गया)**

15. उपरोक्त निर्णय आगे स्पष्ट करता है कि, एनडीपीएस अधिनियम को ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के अपवर्जन में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, अपराधी पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाना राज्य का विशेषाधिकार है। वर्तमान मामले में, चूंकि आरोपी-प्रतिवादियों की कार्रवाई प्रथम दृष्टया एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 8 का उल्लंघन है, इसलिए उन पर एन.डी.पी.एस अधिनियम की धारा 22 के तहत आरोप लगाए गए।

16. उपरोक्त टिप्पणियों के आलोक में, हम उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय को पाते हैं जिसमें कहा गया है कि आरोपी-प्रतिवादियों पर एनडीपीएस अधिनियम के बजाय ड्रग्स और कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास "निर्मित" पाया गया था। ड्रग्स", कानून में अच्छा नहीं है। इसके अलावा, वर्तमान मामले में, आरोपी-प्रतिवादियों ने सजा को निलंबित करने की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। हालाँकि, उपरोक्त राहत देते समय, उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता पर गलत टिप्पणियाँ कीं, जबकि अपीलें अभी भी उसके समक्ष लंबित थीं।

17. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और आरोपी-प्रतिवादियों के खिलाफ कथित अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, सजा को निलंबित करने और जमानत देने का निर्देश देने वाला उच्च न्यायालय का आदेश कानून में स्पष्ट रूप से अस्थिर है और यह निर्धारित करने योग्य है। एक तरफ.

18. तदनुसार, उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया गया है और संबंधित अधिकारियों को आरोपी-प्रतिवादियों को तुरंत हिरासत में लेने का निर्देश दिया गया है।

19. अंत में, एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4816/2018 और एसएलपी (सीआरएल) संख्या 4817/2018 से उत्पन्न अपीलों में उत्तरदाताओं के वकीलों ने विशेष रूप से अनुरोध किया है कि उत्तरदाताओं को पहले ही कैद में काफी समय बीत चुका है। उसी के आलोक में, हम उच्च न्यायालय से सुनवाई में तेजी लाने और तदनुसार अपीलों का निपटान करने का अनुरोध करते हैं। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस आदेश के दौरान की गई टिप्पणियाँ केवल इन अपीलों पर निर्णय लेने के लिए हैं।

20. उपरोक्त शर्तों के तहत अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अगली कड़ी के रूप में लंबित आवेदनों, यदि कोई हों, का भी निपटारा किया जाएगा

देविका गुजराल अपील स्वीकार की गई

आशीष तिवारी द्वारा अनुवादित।